संख्या सा–3—1984/दस–2001–901-98

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 2001

विषय :–राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–3–728/दस-901–98, दिनांक 10-7-1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वहीं सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। उक्त शासनादेश दिनांक 10-7-98 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जायें तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाएं। उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति से स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" जहां पेंशन व्यवस्था लागू है, में लागू की गयी है। परन्तु उक्त आदेश दिनांक 10-7-1998 में कतिपय स्थानों पर स्वायत्तशासी निकाय के स्थान पर "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि "उपक्रम/निगम" के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10-7-1998 की व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम/निगम" में नहीं। अतएव शासनादेश में जहाँ-जहाँ "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द स्थापित माना जाए।

2—"स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50% से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के समविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होंगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/ स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है।

3—शासनादेश संख्या सा–3–728/दस–98–901–98, दिनांक 10-7-98 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त।